मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2010—माघ 2, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. 516-37-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13 जनवरी 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१०.

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २००९.

[दिनांक १३ जनवरी, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २२ जनवरी, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २००९ है. **संक्षिप्त नाम.**

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६
(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में, धारा १७ में, उपधारा (१) में, खण्ड (एन) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ओ) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१
(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, धारा ३५ में, खण्ड (आर) में पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्द्धविराम स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एस) जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय, छह मास से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों.".

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2010

क्र. 517-37-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2009.

[Received the assent of the Governor on the 13th January, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 22nd January, 2010].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixtieth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in Section 17, in sub-section (1), in clause (n), for full stop, the semicolon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely :—

"(o) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against his name for a period exceeding six months.".

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in Section 35, in clause (r), for full stop, the semicolon shall be substituted and thereafter the following new clause shall be inserted, namely :—

"(s) has any dues, payable to the Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor companies, standing against his name for a period exceeding six months.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010